चित्रकूट-पुलिस

(1). नारी सुरक्षा, नारी सम्मान, नारी स्वालंबन, महिला सशक्तिकरण, महिला कल्याण एवं बाल विकास के प्रति चलाये जा रहे "मिशन शक्ति अभियान-4" के तत्वाधान में जनपद के समस्त थानों की एण्टी रोमियों टीमों/''शक्ति दीदी'' द्वारा विभिन्न सार्वजनिक स्थल एवं ग्रामों में भ्रमण कर महिला एवं बालिकाओं को महिला सुरक्षा सम्बन्धी उपायों के प्रति जागरुक किया गया।

"मिशन शक्ति अभियान-4" व ''शक्ति दीदी'' अभियान के तहत आज दिनांक 26.02.2026 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरूण कुमार सिंह के निर्देशन में जनपद में नोडल अधिकारी मिशन शक्ति क्षेत्राधिकारी राजापुर श्रीमती निष्ठा उपाध्याय के पर्यवेक्षण में समस्त थाना क्षेत्रो में एण्टी रोमियों टीमों द्वारा विभिन्न सार्वजनिक स्थलों एवं ग्रामो में भ्रमण किया गया। महिलाओं/बालिकाओँ को "मिशन शक्ति" व ''शक्ति दीदी'' के सार्वजनिक स्थलो जैसे-चौराहे, बाजारों को असामाजिक तत्वों से मुक्त कराये जाने तथा महिलाओ एवं बालिकाओं के साथ राह चलते छेडखानी, अभद्रता, अश्लील प्रदर्शन तथा अभद्र टिप्पणियाँ इत्यादि की घटनाओं को रोकने के लिये जागरुक किया गया तथा महिला/बालिकाओं को सुरक्षा संबंधित सेवाएँ जैसे यू0पी0-112 नम्बर/वूमेन पावर लाइन 1090/यूपी कॉप एप/181 महिला हेल्प लाइन/1076 मुख्यमंत्री हेल्प लाइन/1098 चाइल्ड हेल्प लाइन/102 स्वास्थ्य सेवा/108 एम्बूलेन्स सेवा/1930 साइबर हेल्पलाइन के बारे में जानकारियां दी गई। इस दौरान उपस्थित महिलाओं/बालिकाओं को अवगत कराया गया कि सभी थानों में महिलाओ की सुरक्षा/सहायता हेतु एक महिला हैल्पडेस्क बनाया गया है, जहाँ पर महिला पुलिसकर्मी द्वारा महिलाओं की शिकायत सुनी जाती है तथा समय से उनका निस्तारण किया जाता है। इसके साथ ही मौजूद महिलाओं/बालिकाओं को महिला सुरक्षा सम्बन्धी चलायी जा रही हेल्पलाइन नम्बरों के सम्बन्ध में पंपलेट वितरित करते हुए विस्तार से जानकारी देने के साथ ही सभी महिलाओं/बालिकाओ को हेल्पलाइन नम्बर का निर्भीक होकर उपयोग करने हेतु तथा महिलाओ को आत्मनिर्भर बनने व निर्भीक होकर अपने अपने क्षेत्र में कार्य करने/शिक्षा ग्रहण करने के लिये प्रेरित किया गया तथा सोशल मीडिया पर अपनी प्राइवेसी रखते हुये उसका प्रयोग करने के लिये कहा गया। इसी क्रम में महिलाओं/बालिकाओ को जनपद में गठित "एंटी रोमियो स्क्वायड" टीम के बारे में अवगत कराया गया तथा बताया गया कि सादे वस्त्रों में तथा प्राइवेट वाहनों से सार्वजनिक स्थलों यथा- स्कूल, कालेज व कोचिंग संस्थान के आसपास व ऐसे स्थान जहाँ पर महिलाओ एवं बालिकाओ का अधिकतर आवागमन होता है उनको भौतिक रुप से चिन्हित कर शोहदो/मनचलो के द्वारा Eve Teasing इत्यादि आपत्तिजनक हरकतो को रोकने के उद्देश्य से सघन चैकिंग कर लोगो से पूछताछ की जाती है व अनावश्यक रुप से मौजूद शोहदो/मनचलो को हिदायत/कार्यवाही की।

(2). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के कुशल निर्देशन में वांछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में क्षेत्राधिकारी मऊ श्री फहद अली के पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक मऊ श्री दुर्गविजय सिंह व उनकी टीम द्वारा नाबालिक से दुष्कर्म के प्रकाश में आये अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

संक्षिप्त विवरण-

उल्लेखनीय है कि दिनांक 19.01.2026 को एक वादी द्वारा थाना मऊ में सूचना दी गयी कि उसकी नातिन शौच क्रिया कर के घर की तरफ वापस आ रही थी तभी अभियुक्त रोहित पुत्र राकेश निषाद उसे सरसों के खेत में घसीटकर ले गया वहां उसके साथ बलात्कार किया तथा शोर मचाने पर मारपीट किया। इस सूचना पर थाना मऊ में मु0अ0सं0 24/26 धारा 115(2),64(1) बीएनएस पंजीकृत किया गया। अभियुक्त रोहित पुत्र राकेश निषाद को दिनांक 21.01.2026 को गिरफ्तार

कर जेल में निरूद्ध कराया जा चुका है। माननीय न्यायालय के समक्ष पीडिता के बयान अन्तर्गत धारा 183 बी.एन.एस.एस. में सोनू निषाद पुत्र भोला निषाद का नाम प्रकाश में आया है जिसके आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 64(1) का लोप करते हुये धारा 70(2) बीएनएस व 4(2) पॉक्सो एक्ट की बढोत्तरी की गयी। आज दिनांक 26.02.2026 को प्रकाश में आये अभियुक्त सोनू निषाद पुत्र भोला निषाद को गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार करने वाली टीम का नाम-

1.प्रभारी निरीक्षक मऊ श्री दुर्गविजय सिंह

2.आरक्षी आनन्द प्रताप सिंह

3.आरक्षी दुर्गेश नंदन

4.आरक्षी चालक प्रभात दुबे

(3).पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 महोदय के निर्देशन में चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत माननीय न्यायालय में लम्बित चल रहे वादों में गहन पैरवी कर अपराधियों को अधिक से अधिक सजा कराने हेतु पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में प्रभारी निरीक्षक राजापुर श्री लाखन सिंह एवं पैरोकार आरक्षी संजीव मौर्या व प्रभारी मॉनिटरिंग सेल उ0नि0 श्री प्रभूनाथ यादव व उनकी टीम द्वारा की गयी गहन पैरवी एवं जिला शासकीय अधिवक्ता श्री श्याम सुन्दर मिश्रा द्वारा की गयी प्रभावी प्रस्तुति एवं प्रभावी बहस के फलस्वरूप माननीय न्यायालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश चित्रकूट श्री शेषमणि द्वारा आज दिनाँक 26.02.2026 को पुलिस मुख्यालय से पैरवी हेतु चिन्हित एवं थाना राजापुर में पंजीकृत मु0अ0सं0 157/2023 धारा 302,201,404 भा0द0वि0 के अभियुक्त रवि गौतम पुत्र लालजी गौतम निवासी बहादुरगंज थाना ऊचांहार जनपद रायबरेहील को आजीवन कारावास व 15,000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

संक्षिप्त विवरण-

उल्लेखनीय है कि दिनांक 10.03.2023 को वादी शिव सिंह पुत्र सुन्दरलाल यादव निवासी पुरेसरजू कोटरा बहादुरगंज थाना ऊचांहार जनपद रायबरेली द्वारा सूचना दी गयी कि अभियुक्त द्वारा वादी के भाई शिवशंकर यादव उम्र करीब 35 वर्ष को रॉड से मारकर हत्या कर शव को यमुना नही में फेंक देना । इस सूचना पर थाना राजापुर में मु0अ0सं0 157/2023 धारा 302,201,404 भा0द0वि0 बनाम रवि गौतम पुत्र लालजी गौतम निवासी बहादुरगंज थाना ऊचांहार थाना रायबरेली पंजीकृत किया गया था। जिसकी विवेचना तत्कालीन प्रभारी निरीक्षक श्री भाष्कर मिश्रा द्वारा सम्पादित की गयी। अभियुक्त को दिनांक 12.08.2023 को गिरफ्तार करते हुए दिनाँक 13.09.2023 को आरोप पत्र माननीय न्यायालय प्रेषित किया गया था।

(4).श्रीमान पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 के निर्देशन में चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत माननीय न्यायालय में लम्बित चल रहे वादों में गहन पैरवी कर अपराधियों को अधिक से अधिक सजा कराने हेतु पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में प्रभारी निरीक्षक मऊ श्री दुर्गविजय सिंह एवं पैरोकार आरक्षी धनेश मिश्रा ,प्रभारी मानिटरिंग सेल श्री प्रभुनाथ यादव एवं उनकी टीम द्वारा की गयी गहन पैरवी एवं वरिष्ठ अभियोजन अधिकारी श्रीमती संगीता सिंह द्वारा की गयी प्रभावी प्रस्तुति एवं प्रभावी बहस के फलस्वरूप माननीय न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश/एफटीसी न्यू श्री नीरज श्रीवास्तव द्वारा आज दिनांक 26.02.2026 को थाना मऊ में पंजीकृत मु0अ0सं0 311/14 धारा 2/3(1) गैंगेस्टर एक्ट के अभियुक्त 1.मुन्ना पुत्र धरमपाल 2.रोहित पुत्र रामदास केवट निवासीगण भिटरिया थाना मऊ जनपद चित्रकूट को 05 वर्ष की कारावास व प्रत्येक को 20-20 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

(5). पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 के निर्देशन में चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत माननीय न्यायालय में लम्बित चल रहे वादों में गहन पैरवी कर अपराधियों को अधिक से अधिक सजा कराने हेतु पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में प्रभारी निरीक्षक रैपुरा श्री आशुतोष तिवारी एवं पैरोकार आरक्षी अशोक पाल द्वारा की गयी गहन पैरवी एवं सहायक अभियोजन अधिकारी श्री आकाश साहू द्वारा की गयी प्रभावी प्रस्तुति एवं प्रभावी बहस के फलस्वरूप माननीय न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वितीय सुश्री अंजलिका प्रियदर्शिनी द्वारा आज दिनांक 26.02.2026 को थाना रैपुरा में पंजीकृत मु0अ0सं0 285/2017 धारा 279,337,427 भादवि0 के आरोपी अभियुक्त रामहित पुत्र लालू पाल निवासी शेखुपुर थाना कुरारा जनपद हमीरपुर को 2500/- रुपए के अर्थदंड से दण्डित किया गया।